



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 111-2021/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, JULY 12, 2021 (ASADHA 21, 1943 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 12 जुलाई, 2021

संख्या 14/5/2017-3क-II.— हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम 16) की धारा 149 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 87 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियाँ) की अधिसूचना संख्या का० आ० 85/ह०अ० 16/1994/धा० 87/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियाँ) की अधिसूचना संख्या का०आ० 85/ह०अ०16/1994/धा०87/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में :-

1. पैरा-4, में, उप-पैरा (ii) तथा (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किये जायेंगे अर्थात् :-
“(ii) निर्धारण वर्ष 2021-22 के सम्पत्ति कर पर 25 प्रतिशत माफी अनुज्ञेय की जाती है।
(iv) निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिये 10 प्रतिशत की छूट दिनांक 30 सितम्बर, 2021 तक है।”

एस० एन० राय,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Notification

The 12th July, 2021

No. 14/5/2017-3C-II/.— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 87 read with sub-section (1) of section 149 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994), the Governor of Haryana hereby makes the following amendments in Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), notification No. S.O.85/H.A.16/1994/S. 87/2013, dated the 11th October, 2013, namely:—

Amendment

In Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), notification No. S.O. 85/H.A. 16/1994/S.87/2013, dated the 11th October, 2013, in para 4, for sub-paras (ii) and (iv), the following sub-paras shall be substituted, namely:—

- (ii) 25% on property tax is waived for the assessment year 2021-22.
- (iv) The rebate of 10% for the assessment year 2021-22 is upto 30th September, 2021.

S. N. ROY,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Urban Local Bodies Department.